छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
सोमवार, दिनांक 9 जुलाई, 2007
(आषाढ़ - 18, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. राष्ट्रगीत

सदन में **वन्दे मातरम्** की धुन बजाई गई ।

2.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री चन्द्रशेखर, सांसद एवं पूर्व प्रधानमंत्री, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री विश्वराज सिंह एवं श्री हीराराम वर्मा के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किए ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री, श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष, सदस्य श्री नोवेल कुमार वर्मा, कु.कामदा जोल्हे, श्री धर्मजीत सिंह, डॉ.रामचन्द्र सिंहदेव ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.26 बजे मंगलवार, दिनांक 10 जुलाई, 2007 (आषाढ़ 19, 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
मंगलवार, दिनांक 10 जुलाई, 2007
(आषाढ़ - 19, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 13 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 09 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए ।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 13 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार -

(1) छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 1 सन् 2007), तथा

(2) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 2 सन् 2007)

पटल पर रखा ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने -

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006,

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ 15-25/2005/13/2, दिनांक 18 मई, 2007 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (निधि का गठन एवं निधि के उपयोग की रीति) नियम 2007, तथा

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 पटल पर रखे ।

4. अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार फरवरी-मार्च, 2007 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे गए ।

5. नियम 267 क के अधीन सूचनाएं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार नियम 267 क के अधीन फरवरी-मार्च, 2007 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया ।

6. राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव, विधानसभा द्वारा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक - 30 - क की अपेक्षानुसार द्वितीय विधान सभा के नवम्बर, 2006 सत्र में पारित भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय की तथा फरवरी-मार्च, 2007 सत्र में पारित छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2007 (क्रमांक 1 सन् 2007), छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2007 (क्रमांक 2 सन् 2007) एवं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 3 सन् 2007) जिन पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण पटल पर रखा गया ।

7. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक, सोमवार दिनांक 9 जुलाई, 2007 की निम्नांकित सिफारिशों को सदन द्वारा स्वीकृति दी गई :-

वित्तीय कार्य	निर्धारित समय
(1) वर्ष 2007-2008 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार तथा पारण	3 घंटे

विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2007	30 मिनट
(2) छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2007	30 मिनट
(3) छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2007	30 मिनट
(4) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

8. सभापति तालिका

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

1. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
2. श्री शिवप्रताप सिंह
3. श्री सत्यनारायण शर्मा
4. श्री अघन सिंह ठाकुर
5. श्री धर्मजीत सिंह

9. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने सदन को सूचना दी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री, उडीसा से सांसद और छत्तीसगढ़ के प्रभारी श्री धमेन्द्र प्रधान अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं, सदन उनका स्वागत करता है ।

दुर्ग जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कस्टम मीलिंग किए जाने पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर निम्न सदस्यों ने आसंदी का ध्यान आकृष्ट कर ग्राह्य करने हेतु आग्रह किया :-

सर्वश्री भूपेश बघेल, रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, नंदकुमार पटेल, डॉ. रामचन्द्र सिंह देव, डॉ.शक्राजीत नायक, श्री ताम्रध्वज साहू, डॉ.शिवकुमार डहरिया, नोवेल कुमार वर्मा, मोहम्मद अकबर, धनेन्द्र साहू, महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ।

10. व्यवस्था

स्थगन प्रस्ताव प्रथम अवसर पर देना चाहिए । सदस्यों को यह जानकारी है कि स्थगन सूचना देने की पहली तिथि 04 जुलाई थी । उक्त तिथि को अन्य घटनाओं पर सूचनाएं प्राप्त हुई हैं लेकिन आज जिस विषय को कहा जा रहा है उसकी सूचना मुझे प्रातः 8.20 पर प्राप्त हुई है । इस पर मैं विचार कर रहा हूं और शासन के उत्तर पर विचार कर निर्णय दूंगा ।

प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य किए जाने की निरंतर मांग एवं व्यवधान के कारण माननीय अध्यक्ष ने 12.50 पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की । 1.02 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय)पीठासीन हुए ।)

11. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष महोदय ने दुर्ग एवं रायपुर जिलों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कस्टम मीलिंग किये जाने के संबंध में सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, भूपेश बघेल, रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, गणेश शंकर बाजपेयी, सत्यनारायण शर्मा, मोहम्मद अकबर, नंद कुमार पटेल, डॉ.रामचन्द्र सिंहदेव, डॉ.शक्राजीत नायक, ओंकार शाह, योगेश्वर राज सिंह, धनेन्द्र साहू, श्रीमती रेणु जोगी, चुरावन मंगेशकर, डॉ.शिवकुमार डहरिया, ताम्रध्वज साहू, मोतीलाल देवांगन, कवासी लखमा, गुलाब सिंह, चैतराम साहू, डॉ.हरिदास भारद्वाज, सियाराम कौशिक एवं बोधराम कंवर की प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचना पढ़ी ।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्थगन को ग्राह्य कर अपराह्न 3.30 बजे से चर्चा कराने की घोषणा की ।

12. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने धरसींवा विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतगर्त गुणवत्ताविहीन सड़क निर्माण किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(माननीय अध्यक्ष ने एर्राबोर में घटित घटना पर गृह मंत्री का वक्तव्य आने तक
सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

(2) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने प्रदेश के आदिवासी अंचल में सैक्स रैकेट गिरोह सक्रिय होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रामसेवक पैकरा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान शासन की ओर से तथ्यात्मक जानकारी नहीं आने पर माननीय अध्यक्ष द्वारा इसे दिनांक 11.7.2007 तक के लिए स्थगित किया गया ।

13. वक्तव्य

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने दिनांक 9.7.2007 को जिला दंतेवाड़ा, थाना एर्राबोर में मरईगुड़ा के मध्य जंगल एवं पहाड़ों पर नक्सलियों के द्वारा कैंप लगाए जाने से संबंधित घटना पर वक्तव्य दिया गया ।

14. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - नियम 267-क के अधीन निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री नोवेल कुमार वर्मा

(2) श्री उदय मुदलियार

(3.30 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

15. स्थगन प्रस्ताव

दुर्ग एवं रायपुर जिलों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कस्टम मीलिंग किये जाने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हुई । चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया -

सर्वश्री भूपेश बघेल, देवलाल दुग्गा, मोहम्मद अकबर, इंदर चोपड़ा, डॉ.शक्राजीत नायक, त्रिलोचन पटेल, ताम्रध्वज साहू, डॉ.हरिदास भारद्वाज, नंदकुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, रविन्द्र चौबे,

(माननीय उपाध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की चर्चा एवं उस पर माननीय मंत्री के उत्तर तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

डॉ.शिवकुमार डहरिया, श्री महेन्द्र कर्मा ।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर दिया गया ।

सायं 6.22 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 11 जुलाई, 2007 (आषाढ़ 20, 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
बुधवार, दिनांक 11 जुलाई, 2007
(आषाढ़ - 20, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 09 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए ।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 19 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 08 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने प्रदेश के आदिवासी अंचल में सैक्स रैकेट गिरोह सक्रिय होने की दिनांक 10 जुलाई, 2007 को स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रामसेवक पैकरा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

4. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा संचालित कम्प्यूटर प्रशिक्षण का लाभ नहीं मिल पाने की ओर राज्य मंत्री, आदिम जाति विकास का ध्यान आकर्षित किया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

श्री सत्यानंद राठिया, राज्य मंत्री, आदिम जाति विकास ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(3) श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने जिला अंबिकापुर में लालबाबू हत्याकांड के आरोपी की हत्या होने की ओर जेल मंत्री ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रामसेवक पैकरा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने कोतरलिया (रायगढ़) स्थित इंड्र एग्रो पावर प्लांट द्वारा शासकीय गिट्टीकृत सार्वजनिक सड़क को जबरदस्ती अपने कब्जे में लिये जाने संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी ।

7. वर्ष 2007-2008 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ.रमन सिंह, माननीय मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उनकी ओर से श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2007-2008 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

अध्यक्ष महोदय ने इस अनुपूरक पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 12 जुलाई, 2007 की तिथि निर्धारित की ।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 4 सन् 2007)

श्री अजय चंद्राकर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 4 सन् 2007) पुरःस्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2007 पुर:स्थापित किया ।

अपराह्न 1.20 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 12 जुलाई, 2007 (आषाढ़ 21, 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
गुरुवार, दिनांक 12 जुलाई, 2007
(आषाढ़ - 21, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 09 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 10 तारांकित प्रश्न एवं 24 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचना दी कि पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद श्री दिग्विजय सिंह अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 11 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2003-2004 वित्तिय वर्ष दिनांक 2.5.2002 से 31.3.2003 पटल पर रखा ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा दुर्ग जिले में धान खरीदी में हुई गड़बड़ी संबंधी प्रस्तावों पर हुई चर्चा के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही की मांग करते हुए नारेबाजी की गई ।

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने दुर्ग जिले के धान खरीदी में हुई गड़बड़ी से संबंधित स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के

पश्चात सदन की समिति अथवा सी.बी.आई. से जांच कराने का अनुरोध किया तथा आसंदी से व्यवस्था की मांग की । संसदीय कार्य मंत्री, श्री अजय चंद्राकर ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि जिस विषय पर सदन में चर्चा हो चुकी है, उसी विषय पर पुनः चर्चा नहीं की जा सकती है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि इस पर चर्चा नहीं हो रही है माननीय सदस्य अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं तथा प्रतिपक्ष के सदस्यों की ओर से कोई सूचना दी जाएगी तो उस पर विचार किया जायेगा । उन्होंने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपेक्षा की ।

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.24 बजे 05 मिनट के लिए स्थगित की गई । 12.30 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने जिला रायगढ़ में बीज निगम में उन्नत किस्म के बीज की कमी होने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।
श्री मेघाराम साहू, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने जिला रायगढ़ के भूपदेवग्राम में स्थापित मोनेट इस्पात संयंत्र से प्रदूषण फैलने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने अपात्र लोगों को इंदिरा आवास दिये जाने के विरुद्ध ग्रामवासी भठली के आवेदन पर कार्यवाही नहीं होने, संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी ।

6. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री ओमप्रकाश राठिया, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई, 2007 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्रं.	*सदस्य का नाम*	*समय*
1. (क्रमांक - 07)	श्री रविन्द्र चौबे	30 मिनट
2. (क्रमांक - 20)	श्री देवजी पटेल	30 मिनट
3. (क्रमांक - 06)	श्री देवजी पटेल	30 मिनट
4. (क्रमांक - 04)	श्री भूपेश बघेल	30 मिनट
5. (क्रमांक - 05)	श्री देवजी पटेल	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया ।

8. वर्ष 2007-2008 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से घोषणा की कि अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है । अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें ।

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि - अनुपूरक विनियोग उपस्थापन के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था । इसलिए नियमानुसार वे ही भारसाधक सदस्य के रूप में उसे प्रस्तुत करेंगे व जवाब देंगे ।

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने भी प्रक्रिया संबंधी उल्लेख के साथ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करने पर माननीय अध्यक्ष महोदय की समुचित अनुमति न लेने संबंधी आपत्ति उठाई । इस पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि -

9. व्यवस्था

केवल अनुपूरक अनुमान उपास्थापित किया गया है, अभी विधेयक पुर:स्थापित नहीं हुआ है । विधेयक तो आज सभा में चर्चा के पश्चात् पुर:स्थापित करेंगे और विचार का प्रस्ताव करेंगे । माननीय सदस्य अनुपूरक अनुमान को विधेयक की श्रेणी में रख रहे हैं, यह पृथक है, इसलिए आपत्ति अस्वीकृत हुई ।

10. वर्ष 2007-2008 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान (क्रमश:)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 55, 56, 58, 59, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 76, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर आठ सौ सैंतालिस करोड़, सन्तानवे लाख, उन्नीस हजार, छ: सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(1.30 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया -

सर्वश्री देवलाल दुग्गा, धर्मजीत सिंह, कमलभान सिंह, डॉ.हरिदास भारद्वाज,

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अनुपूरक स्वीकृत होने तक तथा विनियोग विधेयक पारित होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की ।)

सर्वश्री त्रिलोचन पटेल, सुश्री कामदा जोल्हे, देवजी पटेल,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, निर्मल सिन्हा,

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

श्री कोमल जंघेल,

11. बधाई

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा नवनिर्वाचित सदस्य श्री निर्मल सिन्हा एवं श्री कोमल जंघेल को सदन में प्रथम बार संबोधन पर उन्हें बधाई दी एवं उनके उज्जवल संसदीय भविष्य की कामना की ।

12. वर्ष 2007-2008 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान (क्रमशः)

श्री भूपेश बघेल ।

13. बहिर्गमन

श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने चर्चा के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

14. वर्ष 2007-2008 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान (क्रमशः)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 3) विधेयक, 2007

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 3) विधेयक, 2007 का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 3) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची विधेयक का अंग बने ।
खंड 1 विधेयक का अंग बना ।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि गछत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक - 3) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।
प्रस्ताव पर मत लिया गया ।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

रात्रि 7.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई, 2007 (आषाढ़ 22, 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई, 2007
(आषाढ़ - 22, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 03 एवं 05 से 09 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । प्रश्न संख्या 04 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री राजकमल सिंधानिया अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 02 तारांकित प्रश्न एवं 30 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री मेघाराम साहू, कृषि मंत्री ने कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक - 1395/209-190/2006/14-3, दिनांक 10 अप्रैल, 2007 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2006 पटल पर रखा ।

प्रश्नकाल समाप्त होने पर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी करते हुए दुर्ग जिले के धान खरीदी के संबंध में सदन की जांच समिति बनाने का आसंदी से अनुरोध किया गया ।

3. व्यवस्था

सदन नियम-प्रक्रियाओं से चलता है और सामान्य परंपरा यह रही है कि जब भी कोई सदस्य कोई सूचना देता है उस सूचना के अंतर्गत सदन में चर्चा होती है । चर्चा में सारे संबंधित पक्ष यहां पर अपने विचार रखते हैं । उन विचारों के पश्चात् सरकार को जो भी निर्णय करना रहता है वह करती है । इसमें सरकार भी अपना पक्ष रखती है और

आप भी अपना पक्ष रखते हैं । मैं समझता हूं स्थगन प्रस्ताव, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है, उस पर पहले दिन ही सदन में काफी लंबी चर्चा हो गई है । उससें उत्पन्न और भी जो प्रश्न थे, इस संबंध में आप लोगों के जो प्रश्न थे, उस संबंध में भी आप लोगों ने सूचनाएं दी हैं। उस पर जो नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, उस पर भी विचारण चल रहा है और जैसे ही वह सारी चीज आएगी तो उन प्रक्रियाओं के तहत होगा ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.13 बजे स्थगित की गई । 12.22 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

4. स्थगन प्रस्ताव

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ने दक्षिण बस्तर में नक्सली मुठ़भेड़ में पुलिस जवानों की मौत संबंधी प्रतिपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने का अनुरोध किया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने दक्षिण बस्तर के ग्राम उपलमेटा में नक्सली मुठभेड़ के संबंधी सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, भूपेश बघेल, रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, नंदकुमार पटेल, मोहम्मद अकबर, डॉ.शक्राजीत नायक, गणेश शंकर बाजपेयी, सत्यनारायण शर्मा, डॉ.रामचंद्र सिंहदेव, उदय मुदलियार, रामपुकार सिंह, मोतीलाल देवांगन, डॉ.हरिदास भारद्वाज चैतराम साहू, कवासी लखमा, गुलाब सिंह एवं नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य से प्राप्त सूचनाओं में सर्वप्रथम श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष की सूचना पढ़ी ।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के विषय से भिन्न वक्तव्य पढ़ने पर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई तथा आसंदी का ध्यान आकृष्ट किया गया ।

5. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि -

स्थगन प्रस्ताव की सूचना विभाग को 10 जुलाई को प्रेषित की गई थी लेकिन उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ । यह स्थिति खेदजनक है ।

शासन से उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.29 बजे से 10 मिनट के लिए स्थगित की गई । 12.43 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया ।

स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया -

सर्वश्री नंदकुमार पटेल, मोहम्मद अकबर, रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह,

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

6. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

श्री नोवेल कुमार वर्मा, डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री महेन्द्र कर्मा ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री एवं श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का उत्तर सुनने के पश्चात स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - कार्यसूची में 19 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22 (6) के तहत शामिल किया गया है । इनमें से क्रमशः प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाऐं सदन में पढ़ी जावेंगी जिन पर संबंधित मंत्री वक्तव्य देंगे तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । शेष सूचनाएँ तथा उनके उत्तर पटल पर रखे माने जाएंगे ।

माननीय रविन्द्र चौबे, सदस्य ने अनुरोध किया कि - समयाभाव को देखते हुए प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाएं भी पटल पर रखी हुयी मानी जाएं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि - कार्यसूची के पद 3 की प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री के वक्तव्य भी पढ़े हुए माने जायेंगे । तद्नुसार माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्यसूची के पद 3 के उप पद (1) से (19) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारे तथा घोषणा की कि निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

उप पद क्रमांक	मा.सदस्य का नाम
(1)	सर्वश्री देवजी पटेल, त्रिलोचन पटेल,
(2)	श्री महेन्द्र कर्मा,
(3)	डॉ.शक्राजीत नायक, श्री नंदकुमार पटेल, श्री नोवेल कुमार वर्मा,
(4)	श्री नंदकुमार पटेल,
(5)	श्री नोवेल कुमार वर्मा,
(6)	श्री उदय मुदलियार,
(7)	श्री देवजी पटेल,
(8)	डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री देवजी पटेल, श्री त्रिलोचन पटेल,
(9)	श्री भूपेश बघेल,
(10)	सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, नंदकुमार पटेल,
(11)	श्री विक्रम उसेंडी,
(12)	श्री ननकीराम कंवर,
(13)	श्री नंदकुमार पटेल,
(14)	डॉ.शक्राजीत नायक, श्री नंदकुमार पटेल,
(15)	सर्वश्री नंदकुमार पटेल, कवासी लखमा,
(16)	श्री उदय मुदलियार,
(17)	श्री उदय मुदलियार,
(18)	श्री भूपेश बघेल,
(19)	श्री भूपेश बघेल, श्री धर्मजीत सिंह

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) डॉ.शक्राजीत नायक
(2) श्री मोतीलाल देवांगन
(3) श्री धर्मजीत सिंह
(4) श्री धनेन्द्र साहू
(5) डॉ.हरिदास भारद्वाज
(6) श्री नंदकुमार पटेल
(7) श्री अमरजीत भगत
(8) श्री ताम्रध्वज साहू

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री हेमचंद यादव, श्रम मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 4 सन् 2007) पुरःस्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री अजय चंद्राकर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 4 सन् 2007) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री अजय चंद्राकर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 विधेयक का अंग बना ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री अजय चंद्राकर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(3) छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 5 सन् 2007) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

10. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि - नियम 139 के अधीन श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य द्वारा लोक महत्व के विषय पर प्रस्तुत विषय प्रदेश में अतिवृष्टि से जनधन की हानि होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा आगामी दिवसों में की जायेगी ।

11. अशासकीय संकल्प

(1) छत्तीसगढ़ प्रदेश में क्षेत्रवार एवं फसलवार अलग-अलग आदर्श एवं पायलट प्रोजेक्ट बनाकर बीज प्रक्रिया केन्द्र खोला जाना

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री निर्मल सिन्हा, डॉ.हरिदास भारद्वाज, भूपेश बघेल,

श्री मेघाराम साहू, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का अनुरोध किया ।

श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने संकल्प वापस लेने हेतु सहमति व्यक्त की ।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नगरी भिलाई जिला-दुर्ग में आई.आई.टी. (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) की स्थापना की जाना

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, इंदर चोपड़ा, डॉ.हरिदास भारद्वाज, भूपेश बघेल,

श्री अजय चंद्राकर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने संकल्प पर विचार व्यक्त किये ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, उच्च शिक्षा मंत्री ने संकल्प को सर्वानुमति से पारित करने का अनुरोध किया ।

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ ।

(3) राजधानी रायपुर स्थित तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर सौन्दर्यीकरण कराना

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री भूपेश बघेल, त्रिलोचन पटेल,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए ।)

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का अनुरोध किया ।

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने संकल्प वापस लेने हेतु सहमति व्यक्त की ।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ ।

(4) छत्तीसगढ़ प्रदेश में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान के अनुच्छेद 347 के तहत राज्य की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दी जाय

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

(माननीय सभापति महोदय ने अशासकीय संकल्पों पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री कोमल जंघेल, डॉ.हरिदास भारद्वाज, रविन्द्र चौबे, महेन्द्र कर्मा ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा सर्वानुमति से पारित करने का अनुरोध किया ।

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ ।

(5) छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

श्री देवजी पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा अपने विचार व्यक्त किए ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, लच्छुराम कश्यप ।

श्री अजय चंद्राकर, स्कूल शिक्षा मंत्री ने संकल्प पर विचार व्यक्त किये ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, उच्च शिक्षा मंत्री ने संकल्प को सर्वानुमति से पारित करने का अनुरोध किया ।

संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ ।

सायं 6.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 16 जुलाई, 2007 (आषाढ़ 25, 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

सोमवार, दिनांक 16 जुलाई, 2007

(आषाढ़ - 25, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 तथा 09 से 12 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । माननीय मोहम्मद अकबर, सदस्य के द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 01 में चर्चा के दौरान शासन की ओर से समाधान कारक उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा शासन को निर्देशित किया गया कि सभा की जानकारी के लिए दिनांक 18 जुलाई, 2007 तक लिखित में जवाब प्रस्तुत करें ।

तारांकित प्रश्न संख्या 03 हेतु मोहम्मद अकबर, सदस्य अधिकृत थे । प्रश्न संख्या 08 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री चन्द्रभान बारमते अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 09 तारांकित प्रश्न एवं 25 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 4 सन् 2007) पटल पर रखा ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने -

(1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006,

(2) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2006-2007 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा, एवं

श्री अजय चंद्राकर संसदीय कार्य मंत्री ने -

(3) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक रिपोर्ट, उत्तर, प्रबंध मंडल की टिप्पणी एवं वार्षिक लेखा वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006

पटल पर रखे ।

4. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक, सोमवार दिनांक 16 जुलाई, 2007 की निम्नांकित सिफारिशों को सदन द्वारा स्वीकृति दी गई :-

विधि विषयक कार्य	निर्धारित समय
(1) छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल (संशोधन) विधेयक, 2007	1 घंटा 30 मिनट
(2) छत्तीसगढ़ पुलिस विधेयक, 2007	3 घंटे
(3) छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007	30 मिनट

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 163 के उप नियम (क) के पद (1) की अपेक्षानुसार सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 25 जुलाई, 2007 को प्रातः 11.00 बजे से रखी जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

5. वक्तव्य

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय हेलीकॉप्टर के लापता हो जाने के संबंध में वक्तव्य दिया ।

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा दुर्ग जिले में धान खरीदी में हुई गड़बड़ी के संबंध में जांच समिति गठित करने हेतु आसंदी से अनुरोध किया गया ।

6. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि -

आसंदी कोई भी जांच की घोषणा नहीं करती । आसंदी प्राप्त सूचनाओं पर यहां चर्चा कराती है, उस चर्चा के पश्चात् जो विषय सामने आता है, उस पर जरुर अपना कोई निर्णय सुनाती है । अभी आसंदी के सामने कोई विषय चर्चा के लिए नहीं है, सिवाए एक आधे घंटे की चर्चा का विषय हमारे पास है और उसको हमने स्वीकार किया है । वह चर्चा किसी भी दिन समयानुसार ले ली जाएगी । आसंदी का जो कार्य है, वह इतना ही है ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.30 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की गई । 12.45 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री योगेश्वरराज सिंह, सदस्य ने भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना में व्याप्त अव्यवस्था की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रामविचार नेताम, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री निर्मल सिन्हा, सदस्य ने मालखरौदा विधान सभा क्षेत्र में सड़क व पुल निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर राज्यमंत्री, लोक निर्माण का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री राजेश मूणत, राज्यमंत्री, लोक निर्माण ने इस पर वक्तव्य दिया ।

8. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री लच्छूराम कश्यप
(2) श्री निर्मल सिन्हा
(3) श्री ननकीराम कंवर
(4) श्री मोतीलाल देवांगन
(5) श्री अमरजीत भगत

9. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री देवजी पटेल, सभापति, ने सरकारी उपक्रमों सबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री बोधराम कंवर, सदस्य ने जिला कोरबा अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य किए जाने संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 9 सन् 2007) पुरःस्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 6 सन् 2007) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री देवजी पटेल एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व 4 विधेयक के अंग बने ।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्यसूची के पद क्रमांक 08 की चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

(3) छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 8 सन् 2007) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

डॉ.बालमुकुंद देवांगन एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 8 सन् 2007) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

अपराह्न 1.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 17 जुलाई, 2007 (आषाढ़ 26, 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

मंगलवार, दिनांक 17 जुलाई, 2007

(आषाढ़ - 26, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04 (कुल 04) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 02 तारांकित प्रश्न एवं 23 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर चर्चा के दौरान श्री नोवेल कुमार वर्मा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया ।

3. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने जिला चिकित्सालय, रायगढ़ में अनेक बच्चों की मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने नगर पंचायत, पाटन में एक छात्र द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रामसेवक पैकरा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री नंदकुमार पटेल

(2) श्री राजकमल सिंघानिया

(3) श्री निर्मल सिन्हा

(4) श्री मोतीलाल देवांगन

(5) श्री अमरजीत भगत

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने निम्न विधेयकों की महत्ता, उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए आदेश क्रमांक 23 (2) तथा 24 को शिथिल कर आज ही पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की है :-

(1) छत्तीसगढ़ पुलिस विधेयक, 2007

(2) छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 11 सन् 2007)

(1) छत्तीसगढ़ पुलिस विधेयक, 2007

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ पुलिस विधेयक, 2007 (क्रमांक 10 सन् 2007) पुरःस्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 11 सन् 2007) पुरःस्थापित किया ।

6. संकल्प

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

यह सदन केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता है कि वर्तमान में राज्य सरकार को खनिज रियायतें देने के अधिकारों को नई राष्ट्रीय खनिज नीति में यथावत रखा जाए ।

यह सदन केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध करता है कि नई राष्ट्रीय खनिज नीति में खनिज धारित राज्य में खनिज पर आधारित उद्योग स्थापित करने वाले आवेदकों को खनिज रियायत देने में सर्वोच्च प्राथमिकता और वरीयता देने के प्रावधान किये जाएं ओर ऐसे प्रावधानों का खान और खनिज संबंधी कानून एवं नियमों में प्रावधान किया जाए ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने संक्षिप्त भाषण दिया ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री सत्यनारायण शर्मा,

7. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज दोपहर भोजन अवकाश में विधान सभा आवासीय परिसर में वन महोत्सव का आयोजन एवं माननीय सदस्यों के लिए दोपहर भोजन माननीय वन मंत्री की ओर से लॉबी स्थित कक्ष में आयोजित है । पत्रकारों के लिए भोजन की व्यवस्था प्रथम तल पर है । समस्त माननीय सदस्य एवं पत्रकार वन महोत्सव एवं भोज में आमंत्रित हैं ।

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

8. संकल्प (क्रमशः)

सर्वश्री इंदर चोपड़ा, डॉ.हरिदास भारद्वाज, अमरजीत भगत, लच्छुराम कश्यप, डॉ.रामचंद्र सिंहदेव,

9. व्यवस्था

अधिकारी दीर्घा के संबंध में सदन में चर्चा नहीं

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य के द्वारा मुख्य सचिव, छ.ग. शासन के द्वारा सत्रकाल के दौरान अधिकारी दीर्घा में एक भी दिन उपस्थित न होने के संबंध में उल्लेख किए जाने पर आसंदी ने व्यवस्था दी कि सदन के संबंध में चर्चा

करें, विभिन्न दीर्घाओं के संबंध में चर्चा न करें । दूसरी बात यह है कि यह उन माननीय मंत्री जी और बाकी मंत्रियों को सोचना है कि उनके विभाग की चर्चा है तो उनके कौन से अधिकारी यहां पर उपस्थित हैं या नहीं हैं । यह उनका विषय है ।

10. संकल्प (क्रमशः)

श्री नोवेल कुमार वर्मा, श्री निर्मल सिन्हा, श्री धर्मजीत सिंह एवं श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संकल्प पर मत लिया गया ।

संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 9 सन् 2007) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, डॉ.सुभाऊ कश्यप, डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.बालमुकुंद देवांगन, डॉ.श्रीमती रेणु जोगी, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 9 सन् 2007) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

12. वक्तव्य

शासकीय हेलीकॉप्टर ई.सी. 135 की तलाश हेतु की गई कार्यवाही के संबंध में गृह मंत्री श्री रामविचार नेताम ने सदन में वक्तव्य दिया ।

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, नोवेल कुमार वर्मा, धर्मजीत सिंह, नंदकुमार पटेल, भूपेश बघेल, सदस्य ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

13. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि - नियम 139 के अधीन श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य द्वारा लोक महत्व के विषय पर प्रस्तुत विषय प्रदेश में अतिवृष्टि से जनधन की हानि होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा आगामी दिवसों में की जायेगी ।

14. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

(1) श्री उदय मुदलियार, सदस्य ने दिनांक 10.07.2007 को राजस्व मंत्री से आदिवासियों की भूमि के विक्रय के संबंध में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक 208) के उत्तर से उद्‌भूत विषय पर चर्चा प्रारंभ की ।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री धर्मजीत सिंह, अमरजीत भगत,

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री नोवेल कुमार वर्मा ।
श्री बृजमोहन अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

(2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने दिनांक 11.07.2007 को आवास एवं पर्यावरण मंत्री से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धान के उठाव के संबंध में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्रमांक 248) एवं 22 (क्रमांक 269) के उत्तर से उद्‌भूत विषय पर चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
सर्वश्री डॉ.शक्राजीत नायक, भूपेश बघेल,

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री द्वारा समाधानकारक उत्तर न दे पाने के कारण चर्चा को स्थगित करने का आसंदी से अनुरोध किया ।

15. व्यवस्था

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि -
चर्चा स्थगित करने का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय मंत्री जी का जो भी उत्तर आये, आप प्रश्न पूछिये ।

16. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा (क्रमशः)

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

17. बहिर्गमन

नियम 52 के अधीन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धान के उठाव संबंधी आधे घंटे की चर्चा के दौरान श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों एवं श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया ।

सायं 6.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 18 जुलाई, 2007 (आषाढ़ 27, 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 18 जुलाई, 2007

(आषाढ़ - 27, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 22 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 11 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए ।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 14 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचना दी कि पूर्व रक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार श्री के.पी.सिंहदेव अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया ।

3. व्यवस्था

गृह विभाग से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर शासन की ओर से समाधानकारक उत्तर प्राप्त नहीं होने की ओर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा आसंदी का ध्यान आकृष्ट कराया गया । इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि -

प्रश्नों के उत्तर मंत्रिगण देते हैं तथा उत्तर से उद्भूत विषय पर पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः मंत्रियों को पूरक प्रश्नों की तैयारी करनी चाहिए और उनके पास जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए ।

यह एक परम्परा बनती जा रही है कि मंत्रिगण द्वारा अलग से जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी कथन किया जाता है, वस्तुतः ऐसा कुछ बिरले अवसरों पर होना चाहिए । सभा में जब अनुपूरक प्रश्न पूछे जाए तो मंत्रियों की ओर से उनका उत्तर आना चाहिए ।

4. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर चर्चा के दौरान श्री नोवेल कुमार वर्मा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया ।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार-

(1) अधिसूचना क्रमांक 16/छ.रा.वि.नि.आ./2005, दिनांक 18 अक्टूबर, 2005 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम, 2005,

(2) अधिसूचना क्रमांक 17/सी.एस.ई.आर.सी./2006, दिनांक 5 जुलाई, 2006 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण कार्यान्वयन हेतु मानक) विनियम, 2006,

(3) अधिसूचना क्रमांक 18/सी.एस.ई.आर.सी./2006, दिनांक 25 नवम्बर, 2006 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सूचना की तामीली व प्रकाशन) विनियम, 2006, तथा

(4) अधिसूचना क्रमांक 19/छ.रा.वि.नि.आ./2007, दिनांक 16 अप्रैल, 2007 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (प्रथम संशोधन), 2007

पटल पर रखे ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा दुर्ग जिले में धान खरीदी में हुई गड़बड़ी पर सदन की समिति अथवा सी.बी.आई. से जांच की मांग करते हुए निरंतर व्यवधान एवं नारेबाजी की गई, जिसके कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सभा की कार्यवाही 12.10 बजे 10 मिनट के लिए स्थगित की गई । 12.23 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः दुर्ग जिले में धान खरीदी में हुई गड़बड़ी से संबंधित मामला उठाते हुए निरंतर व्यवधान एवं नारेबाजी की गई ।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष से आग्रह किया कि आज बहुत महत्वपूर्ण कार्य होना है, इसलिए सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग दें ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर व्यवधान एवं नारेबाजी के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा द्वारा सभा की कार्यवाही 12.27 बजे 15 मिनट के लिए स्थगित की गई । 12.55 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः व्यवधान एवं नारेबाजी के साथ सदन की समिति से जांच की मांग की गई ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभा को सूचित किया कि धान खरीदी के इस मामले में प्राप्त सभी सूचनाओं पर उन्होंने चर्चा कराई है तथा अब उनके समक्ष इस विषय पर चर्चा की कोई सूचना नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपेक्षा की ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर व्यवधान एवं नारेबाजी के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा द्वारा सभा की कार्यवाही 1.04 बजे 10 मिनट के लिए स्थगित की गई । 1.25 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर व्यवधान एवं नारेबाजी के कारण माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा द्वारा सभा की कार्यवाही 1.28 बजे से 3.00 बजे तक के लिए मिनट के लिए स्थगित की गई । 3.00 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि दुर्ग जिले में धान खरीदी में हुई गड़बड़ी संबंधी प्रकरण की जांच हेतु सदन की समिति गठित की जावे ।

6. घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि - सदन में दुर्ग जिले में धान के उठाव एवं वितरण के संबंध में विभिन्न माध्यम से चर्चा हुई है । मैं उन समस्त मामलों को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंपता हूँ । समिति जांच के बिंदु तय कर जांच प्रतिवेदन सदन के आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक प्रस्तुत करेगी ।

7. वक्तव्य

शासकीय हेलीकॉप्टर ई.सी. 135 के दुर्घटनाग्रस्त होने के संबंध में डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने सदन में वक्तव्य दिया ।

श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ.शिवकुमार डहरिया, सदस्य ने पलारी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत अव्यवस्था से अनेक व्यक्तियों की मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) डॉ.बालमुकुंद देवांगन, सदस्य ने आगंनबाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार वितरण में अव्यवस्था होने की ओर राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास का ध्यान आकर्षित किया ।

सुश्री लता उसेंडी, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास ने इस पर वक्तव्य दिया ।

9. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री लच्छूराम कश्यप
(2) डॉ.शक्राजीत नायक
(3) श्री निर्मल सिन्हा
(4) श्री मोतीलाल देवांगन
(5) श्री अमरजीत भगत
(6) श्री मोहम्मद अकबर
(7) श्री नंदकुमार पटेल
(8) श्री भूपेश बघेल

10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री कमलभान सिंह, सभापति, ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन,
(2) श्री बैदूराम कश्यप, सभापति, ने याचिका समिति का सप्तम एवं अष्टम प्रतिवेदन, तथा
(3) श्री महेन्द्र कर्मा, सभापति, ने लोक लेखा समिति का पैंसठवा, छियासठवां, सड़सठवां, अड़सठवां एवं उनहत्तरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2007 की महत्ता, उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए आदेश क्रमांक 23 (2) तथा 24 को शिथिल कर आज ही पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की है तथा इस विधेयक पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 15 मिनट का समय निर्धारित किया है ।

(1) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 12 सन् 2007) पुरःस्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ पुलिस विधेयक, 2007

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पुलिस विधेयक, 2007 (क्रमांक 10 सन् 2007) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

नेता प्रतिपक्ष, श्री महेन्द्र कर्मा एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ पुलिस विधेयक, 2007 को प्रवर समिति को सौंपने हेतु अनुरोध किया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रतिपक्ष के सदस्यों के विचार एवं शासन का पक्ष सुनने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस विधेयक, 2007 को प्रवर समिति को सौंपे जाने संबंधी प्रस्ताव पर सदन का मत लिया ।

प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ ।

प्रस्ताव के पक्ष में 28 एवं विपक्ष में 38 मत प्राप्त हुए ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर हुई चर्चा में सर्वश्री नंदकुमार पटेल,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, इंदर चोपड़ा, डॉ.हरिदास भारद्वाज, देवलाल दुग्गा,

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने विधेयक पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री नोवेल कुमार वर्मा,

(सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए ।)

श्री निर्मल सिन्हा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 53 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री रामविचार नेताम, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ पुलिस विधेयक, 2007 (क्रमांक 10 सन् 2007) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

सायं 6.09 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 19 जुलाई, 2007 (आषाढ़ 28, 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरुवार, दिनांक 19 जुलाई, 2007

(आषाढ़ - 28, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 10 तथा 12 से 15 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए । तारांकित प्रश्न संख्या 11 के प्रश्न कर्ता सदस्य श्री नंदकुमार पटेल अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 24 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान प्रश्न उद्भूत नहीं होने संबंधी आसंदी के कथन से असहमति व्यक्त करते हुए असंयमित, कथन के साथ श्री नंदकुमार पटेल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।

3. व्यवस्था

माननीय सदस्य के व्यवहार पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि -

माननीय सदस्यगणों का, सभा में आसंदी की बात नहीं, सुनना, बहुत ही अनुचित है, जब माननीय सदस्यगण प्रश्न करते हैं, और जब माननीय मंत्री और मुख्यमंत्री एवं सदन के नेता उनका उत्तर देते हैं, तो उत्तरों को नहीं सुनना और असंयमित होकर प्रतिप्रश्न करने का तरीका उचित नहीं है । माननीय सदस्यों का सभा में ऐसा व्यवहार करने का तरीका उचित नहीं है ।

4. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचना दी कि छत्तीसगढ़ के सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया ।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 48 की उपधारा (2) अपेक्षानुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का अंकक्षेण प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 एवं 2004-2005 पटल पर रखा ।

6. गोपनीय बैठक के संबंध में अध्यक्ष के निर्देश

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - कार्यमंत्रणा समिति की बैठक, सोमवार दिनांक 16 जुलाई, 2007 को सम्पन्न हुई । समिति का प्रतिवेदन जो सभा द्वारा स्वीकृत किया गया के अनुसार नियम 163 के उप नियम (क) के पद 1 की अपेक्षानुसार सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 25 जुलाई, 2007 को प्रात 11.00 बजे से रखे जाने का निर्णय लिया गया था । माननीय सदन के नेता एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष की सहमति से उक्त बैठक दिनांक 25 जुलाई, 2007 के स्थान पर गुरुवार दिनांक 26 जुलाई, 2007 को प्रातः 11.00 बजे से रखी जायेगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह भी सूचित किया कि -

प्रस्तावित बैठक के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी :-

1. गोपनीय बैठक प्रातः 11.00 बजे से 3.00 बजे तक होगी । भोजन अवकाश नहीं होगा तथा माननीय सदस्य सुविधानुसार दोपहर 1.00 बजे से 2.30 बजे तक लॉबी स्थित कक्ष में भोजन ग्रहण कर सकेंगे ।
2. पत्रकार दीर्घा सहित किसी भी दीर्घा में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
3. छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (गृह) एवं पुलिस महानिदेशक को अधिकारी दीर्घा में प्रवेश की अनुमति रहेगी ।
4. दोपहर 3.15 बजे पत्रकार दीर्घा सहित सभी दीर्घायें खोल दी जाएगी और कार्यसूची में दर्शित अन्य कार्य सम्पादित होगा ।

सर्वशिक्षा अभियान एवं राजीव शिक्षा मिशन के अंतर्गत संचालित स्कूल में विषाक्त भोजन से 3 बच्चों की मौत होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग करते हुए प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान एवं नारेबाजी की गई, जिसके कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सभा की कार्यवाही 12.10 बजे स्थगित की गई । 12.25 पर सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः स्कूलों में विषाक्त भोजन से बच्चों की मौत होने से संबंधित मामला उठाते हुए निरंतर व्यवधान एवं नारेबाजी की गई ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रतिपक्ष के सदस्यों को अवगत कराया कि पूर्व में ही इस विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना सभा में आ चुकी है तथा आज की कार्यसूची में बहुत सारे विषय हैं और उन सारे विषयों को आज लेना है, उन्होंने प्रतिपक्ष से आग्रह किया कि सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग दें ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर व्यवधान एवं नारेबाजी के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा द्वारा सभा की कार्यवाही 12.41 बजे 15 मिनट के लिए स्थगित की गई । 1.00 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए ।)

7. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

प्रतिपक्ष के 26 सदस्यों ने गर्भगृह में प्रवेश किया एवं नारेबाजी की ।

8. निलंबन की घोषणा

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि - प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 250(1) के तहत निम्नांकित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं । तद्नुसार वे सभा से बाहर चले जायें -

सर्वश्री मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, बोधराम कंवर, डॉ.श्रीमती रेणु जोगी, भूपेश बघेल, गुलाब सिंह, योगेश्वर राज सिंह, डॉ.शिवकुमार डहरिया, डॉ.रामचन्द्र सिंहदेव, रविन्द्र चौबे, डॉ.शक्राजीत नायक, धर्मजीत सिंह, ताम्रध्वज साहू, उदय मुदलियार, चन्द्रभान बारमते, अमरजीत भगत, डॉ0हरिदास भारद्वाज, रामदयाल उइके, ओंकार शाह, चुरावन मंगेशकर, मोतीलाल देवांगन, सियाराम कौशिक, चैतराम साहू, राजेन्द्र पामभोई, रामपुकार सिंह, गणेशशंकर बाजपेयी ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने निलंबन की अवधि दिनांक 19 जुलाई को सभा समाप्ति तक निर्धारित की ।

9. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि - कार्यसूची में 36 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 22 (6) के तहत शामिल किया गया है । नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके क्रमांक (1) से (4) तक की सूचनाऐं ली जावेंगी जिनका उत्तर माननीय मंत्री देंगे । शेष सूचनाओं पर माननीय मंत्री के लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी ।

(1) श्री रामदयाल उइके, सदस्य (गर्भगृह में नारेबाजी करते रहे व ध्यानाकर्षण सूचना नही पढ़ी)

(2) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य (अनुपस्थित)

(3) श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने रायपुर से विधान सभा आने वाले बलौदाबाजार मार्ग पर निरंतर होने वाली दुर्घटनाओं से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री, लोक निर्माण का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री राजेश मूणत, राज्य मंत्री, लोक निर्माण ने इस पर वक्तव्य दिया ।

गर्भगृह में बैठकर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई । इस पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसंदी के निर्देश के पालन तथा सभा की कार्यवाही गरिमापूर्ण रुप से चलाने की अपेक्षा की ।

(4) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य (अनुपस्थित)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि अब वे कार्यसूची के पद 3 के उप पद (5) से (36) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारेंगे, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

उप पद क्रमांक	सदस्य
(5)	सर्व श्री देवजी पटेल, त्रिलोचन पटेल, सदस्य
(6)	डॉ. बालमुकुंद देवांगन, श्री देवजी पटेल, श्री त्रिलोचन पटेल, सदस्य
(8)	श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य
(10)	श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य
(14)	श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य
(15)	डॉ.बालमुकुंद देवांगन, सदस्य
(20)	श्री देवजी पटेल, सदस्य
(28)	श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य
(29)	श्री निर्मल सिन्हा, सदस्य
(33)	श्री विक्रम उसेंडी, सदस्य
(35)	श्री रजिन्दर पाल सिंह भाटिया, सदस्य

10. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - नियम 267 क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 19.07.2007 को मैंने सदन में 16 सूचनाएं लिए जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

01. श्री ननकीराम कंवर
02. श्री दयालदास बघेल
03. श्री चन्दूलाल साहू
04. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया
05. श्री निर्मल सिन्हा
06. डॉ. बालमुकुन्द देवांगन
07. श्री त्रिलोचन पटेल

11. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री संजय ढीढी, सदस्य ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का द्वितीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य,

(2) श्रीमती रमशीला साहू, सदस्य ने गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम परसतराई के मुख्य मार्ग से कांदुल से धरसा तक सड़क निर्माण किये जाने,

(3) डॉ. बालमुकुन्द देवांगन, सदस्य ने डौंडीलोहारा विकासखण्ड के अंतर्गत नर्मदा धाम सुरसुली स्थित नाले में निर्मित पुल का चौड़ीकरण किये जाने, तथा

(4) श्री चंदूलाल साहू, सदस्य ने छुरा विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत करकरा में शासकीय प्राथमिक शाला का पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन किये जाने
संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की ।

13. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

(1) रायपुर स्थित सहकारी गृह निर्माण समितियों में अनियमितता की जांच समिति

श्री देवजी पटेल, सभापति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 194 के उप नियम (1) के परन्तुक की अपेक्षानुसार प्रस्ताव किया कि :-

रायपुर स्थित सहकारी गृह निर्माण समितियों में अनियमितता की जांच हेतु गठित सदन की जांच समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) विशेषाधिकार समिति

श्री विजय अग्रवाल, सभापति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 228 के अन्तर्गत प्रस्ताव किया कि :-

श्री भूपेश बघेल, डॉ.श्रीमती रेणु जोगी, श्री धर्मजीत सिंह, डॉ.शक्राजीत नायक, श्री प्रीतम दीवान एवं श्री देवजी पटेल, सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता, रायपुर के प्रकाशक श्री विजय बुधिया, संपादक श्री परितोष चक्रवर्ती, ब्यूरो प्रमुख एवं संवाददाता के विरूद्ध विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(3) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्याह्न भोजन हेतु गैस चूल्हा क्रय में अनियमितता

श्री संजय ढीढी, सदस्य ने छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 194 के उप नियम (1) के परन्तुक की अपेक्षानुसार प्रस्ताव किया कि :-

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्याह्न भोजन हेतु गैस चूल्हा क्रय में अनियमितता के संबंध में प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

14. व्यवस्था

गर्भगृह में बैठे हुए प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर व्यवधान एवं नारेबाजी किए जाने पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि -

मुझे यह कहते हुए अत्यन्त दु:ख हो रहा है कि प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जानबूझकर सभा भवन के गर्भगृह में आकर सभा के नियमों का उल्लंघन किया है। स्वमेव निलंबित होने और आसंदी के सभागृह से बाहर जाने के निर्देश दिये जाने और बार-बार आसंदी के अनुरोध को अनसुना कर सभा के गर्भगृह में आकर लगातार नारेबाजी कर सभा की गरिमा के विपरीत कार्य करते रहे हैं। सभा की गरिमा बनाये रखने के लिए सर्वप्रथम जिम्मेदारी सदस्यों की है, जिसके वे अविभाज्य अंग हैं। यदि सदन स्वयं अपनी गरिमा के प्रति जिम्मेदार नहीं है तो ऐसी स्थिति में आसंदी दु:ख ही व्यक्त कर सकती है। मैं सभा की गरिमा, जिस प्रकार से आमजन में न केवल बनी रहे, अपितु और मजबूत हो, यह प्रश्न सदस्यों के विवेक पर छोड़ता हूँ, किन्तु यह अवश्य व्यक्त करना चाहता हूँ कि सदस्यों के व्यवहार से सभा की गरिमा अवश्य कम हुई है और आसंदी को इस व्यवहार पर अत्यंत खेद है।

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 11 सन् 2007) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कार्यसूची के पद क्रमांक 9 तक के कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।
डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए मतदान की मांग की ।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्य की मांग को औचित्यहीन करार दिया गया।

16. बहिर्गमन

विधेयक पर चर्चा के दौरान श्री नोवेल कुमार वर्मा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य द्वारा असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया ।

17. शासकीय विधि विषयक कार्य(क्रमशः)

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने ।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ लोक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 11 सन् 2007) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 12 सन् 2007) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 12 सन् 2007) पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

18. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य (अनुपस्थित)

19. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य (अनुपस्थित)

अपराह्न 1.43 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 26 जुलाई, 2007 (श्रावण 4, 1929) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

गुरुवार, दिनांक 26 जुलाई, 2007

(श्रावण - 4, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

1. नियम 163-क के अधीन प्रदेश की नक्सल समस्या पर चर्चा

छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 163-क के अधीन प्रदेश की नक्सल समस्या पर सभा की गोपनीय बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे से रात्रि 7.40 तक हुई ।

(अपराह्न 7.40 से अपराह्न 8.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

2.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्री भुरसूराम नाग, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किए ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री एवं श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की गई। दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 05 मिनट के लिए स्थगित की गई ।

(अपराह्न 8.05 से अपराह्न 8.10 बजे तक स्थगित)

(अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए ।)

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - आज की कार्यसूची के पद क्रमांक-3 में सम्मिलित याचिकायें श्री निर्मल सिन्हा, सदस्य द्वारा पढ़ी हुई मानी गई ।

4. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

द्वितीय विधान सभा के बारहवें सत्र का आज अंतिम दिवस है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार इस सत्र की कुल अवधि 11 दिन एवं 09 बैठकें निर्धारित थी किन्तु माननीय सदन के नेता के प्रस्ताव एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष की सहमति के परिप्रेक्ष्य में सत्रावधि में दिनांक 26 जुलाई तक की वृद्धि करते हुए पुनरीक्षित रूप में 10 बैठकें निर्धारित की गई।

यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा कि इस दौरान भारत के महामहिम राष्ट्रपति के निर्वाचन की भी प्रक्रिया पूरी हुई। प्रक्रिया के सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग के लिए भी आप सभी को धन्यवाद। इस निर्वाचन में आप सभी के संयमित, अनुशासित अपेक्षा अनुरूप व्यवहार के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं।

इस दस दिवसीय सत्र में सभा ने वित्तीय कार्यों के साथ-साथ महत्वपूर्ण विधिक कार्य भी संपन्न किया और प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव तथा अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों को सभा में उठाया और सभा के प्रति शासन की जवाबदेही सुनिश्चित की।

इस सत्र में सदन में दो नये माननीय सदस्य सर्वश्री निर्मल सिन्हा एवं श्री कोमल जंघेल सदन में निर्वाचित होकर प्रथम बार आये। सदन की कार्यवाही में दोनों ही माननीय सदस्यों का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा, इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।

सभा की 10 बैठकों में से प्रथम दिन पूर्व प्रधानमंत्री एवं सांसद श्री चन्द्रशेखर, अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व सदस्य श्री विश्वराज सिंह एवं श्री हीरालाल वर्मा के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये। सभा द्वारा दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई और सभा की कार्यवाही दिवंगतों के सम्मान में स्थगित हुई।

यह पावस सत्र था और इस सत्र में कार्यों का दबाव ज्यादा रहता है। प्रत्येक सदस्य अपनी समस्याओं को रखने का आग्रह करता है। मुझे इस बात का संतोष है कि अधिकांश समस्याओं पर सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप यथा संभव सदन में सार्थक चर्चा हुई। जहाँ तक सदन में विपक्ष के माननीय सदस्यों के दायित्व का सवाल है तो मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सशक्त जागृत विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया है।

प्रत्येक विषय जो छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा एवं जन-कल्याण से संबंध रखता है, को सदन में उनके द्वारा रखा गया। समसामयिक अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों को माननीय विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में चर्चा हेतु रखा जाना ही उनके जागृत होने का प्रमाण है। चाहे प्रदेश में धान खरीदी का विषय हो या प्रदेश की कानून व्यवस्था की चिन्ता हो या फिर राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता और उसके वितरण से संबंधित विषय अथवा औद्योगिकरण एवं

पर्यावरण का विषय हो, प्रत्येक समसामयिक महत्व के विषय पर आवश्यक अपेक्षित चर्चा हुई है इसे मैं सदन की उपलब्धि समझता हूँ और विपक्ष के माननीय सदस्यों को उनके इस प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूँ।

पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र की गाड़ी के दो पहिये हैं, लोकतंत्र को आगे ले लाने के लिए, उसे सुदृढ़ करने के लिए पक्ष-विपक्ष के मध्य एक सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सदन में पक्ष-विपक्ष के मध्य श्रेष्ठ समन्वय विद्यमान है । इस सत्र में संसदीय लोकतंत्र की पवित्र भावना को आत्मसात करते हुए सदन ने अनेकों अवसर पर पक्ष-प्रतिपक्ष के आदर्श स्वरूप को सदन में स्थापित किया । जहां माननीय सदस्यों के अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुए वहीं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाये गये शासकीय संकल्प को भी सर्वसम्मति से सदन ने पारित किया। छत्तीसगढ़ की द्वितीय विधान सभा ने संसदीय परम्पराओं और प्रक्रियाओं के अनुपालन की दिशा में जो प्रतिमान स्थापित किए हैं, निःसंदेह आने वाले समय में वे प्रेरणा के स्रोत साबित होंगे । इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं ।

वर्तमान सत्र में दिनांक 19 जुलाई को वह अवसर आया जब प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अपने ही द्वारा निर्धारित नियम की उपेक्षा करते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया और स्वमेव निलम्बित हुए । उत्तेजना के क्षणों में कभी-कभी ऐसा क्षण उपस्थित होता है जब जानते हुए भी हमसे त्रुटि होती है किन्तु ऐसी त्रुटियों से भविष्य के लिये यदि हम कुछ प्रेरणा लें तो ऐसी त्रुटियां भी संसदीय जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । मेरा सदस्यों से यह आग्रह है कि वे यह प्रयास करें कि अति उत्तेजना के क्षणों में भी हम अपने बनाये हुए नियमों का अक्षरशः पालन करें और सभा की कार्यवाही को उसी स्वरूप में चलाये, जिस स्वरूप में चलाने के लिए हमने स्वयं अपने नियमों की रचना की है और उन्हें सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया है ।

मैं इस अवसर पर यह अवश्य उल्लेख करना चाहता हूं कि यह सभा चर्चा के माध्यम से महत्वपूर्ण विषयों पर एवं जनहित के कार्यों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराती है । यह सभा अपने दायित्वों का निर्वहन तभी कुशलतापूर्वक सम्पादित कर सकती है, जब ऐसी चर्चा नियमों के अंतर्गत और इस सभा की गरिमा को अक्षुण्ण रखने की भावना के साथ में सम्पन्न हो । क्षणिक आवेश में हम न केवल स्वयं अपनी गरिमा को कम करते हैं अपितु अपरोक्ष रूप से इस सभा की गरिमा को भी आघात पहुंचाते हैं । द्वितीय विधान सभा के विगत 11 सत्रों में माननीय सदस्यों ने विचारों की अभिव्यक्ति के इस सर्वोच्च मंच की गरिमा को अक्षुण्ण रखने की महति जिम्मेदारी धैर्य एवं गंभीरता के साथ निभायी है । शेष बची हुई अवधि में यदि हम सब इस सभा की गरिमा को यथावत बनाए रखेंगे तो द्वितीय विधान सभा का यह कार्यकाल निश्चित तौर पर यादगार रहेगा । वर्तमान सत्र में लगभग प्रतिदिन माननीय सदस्यों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर धान खरीदी का मामला उठाया गया और सदस्य सभा की समिति से सम्पूर्ण प्रकरण की जांच के लिए मांग करते रहे । फलस्वरूप सभा की कार्यवाही के संचालन में भी यदा-कदा अवरोध उत्पन्न हुआ । सदन के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष के साथ चर्चा उपरांत इस प्रकरण को सभा में आये सम्पूर्ण तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जांच हेतु प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित किया गया ।

सत्र के दौरान हुई एक दुखद घटना का भी मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा । छत्तीसगढ़ राज्य के हेलीकॉप्टर के चालक दल के चार सदस्यों की हेलीकॉप्टर के भोपाल से रायपुर आते समय दुर्घटना होने के कारण मृत्यु हो गई, इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुये सभा ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की । मैं इस अवसर पर पुनः मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

इस अवसर पर सदन को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की द्वितीय विधान सभा की विभिन्न संसदीय समितियों ने अब तक गंभीरतापूर्वक परिणामपरक कार्य कर सभी को प्रभावित किया है। इस सत्र में विभिन्न समितियों के 13 प्रतिवेदन सभा पटल पर प्रस्तुत किये गये । इसका श्रेय सदन की समितियों के सभापति एवं सदस्यों को जाता है । आप सबकी सजगता और लोक उत्थान, लोकहित के प्रति वचनबद्धता निःसंदेह प्रशंसनीय है । आपसे मेरा आग्रह है कि लोकतंत्र को और अधिक सजग और सक्षम बनाने के लिए आप अपनी भूमिका में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करें ।

द्वितीय विधान सभा में विभिन्न अवसरों पर पक्ष एवं प्रतिपक्ष में आपसी सामंजस्य एवं प्रदेश हित की भावना को सर्वोच्च स्थान देते हुये सर्वसम्मति से सभा का कार्य संपादित किया है । नक्सलवाद की समस्या राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिये गंभीर खतरे के रूप में हमारे सबके सामने समक्ष उत्पन्न हुई । इस समस्या के उचित समाधान के लिये अनेक अवसरों पर विभिन्न माध्यमों से सभा में चर्चा हुई और सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये । नक्सलवाद से उत्पन्न परिस्थितियों और राज्य की आंतरिक सुरक्षा के संभावित खतरे को दृष्टिगत रखते हुये सभा में सामान्य प्रक्रियाओं के अंतर्गत सामान्य चर्चा से भिन्न गोपनीय चर्चा के माननीय सदन के नेता के प्रस्ताव एवं प्रतिपक्ष के नेता की सहमति से नियमों के अंतर्गत गोपनीय बैठक रखने का निर्णय लेते हुये इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई, जिसमें सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष के 80 से अधिक सदस्यों ने राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर अपने राज्य की इस गंभीर समस्या से जुड़े प्रत्येक पहलू पर स्वस्थ एवं सार्थक चर्चा की । मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सर्वमतेन इस समस्या के हल के परिणाम तक पहुचेंगे ।

इस सत्र में विभिन्न विद्यालयों के लगभग 179 छात्र-छात्राओं ने सदन की कार्यवाही को देखा और संसदीय परम्परा और प्रक्रियाओं को समझा । लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये छात्र-छात्राओं को संसदीय परम्पराओं और प्रक्रियाओं से जोड़ने का छत्तीसगढ़ विधान सभा का यह प्रयास अनवरत जारी है ।

इस सत्र में त्रिस्तरीय पंचायती राज के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक संगठनों के लगभग 135 प्रतिनिधियों ने सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया । ऐसा प्रथम अवसर हुआ कि ज्येष्ठ नागरिक (सीनियर सिटिजन) के 56 सदस्यों को विशेष रूप से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु ससम्मान आमंत्रित किया गया । मेरा मानना है कि अतीत के अनुभव से हम अपना वर्तमान और भविष्य संवार सकते है ।

इस पावस सत्र में सदन के सम्पन्न कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा । इस सत्र के कुल 10 कार्य दिवसों में कुल 45 घंटे 30 मिनट चर्चा हुई । इस सत्र में वित्तीय कार्यों के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के प्रथम अनुपूरक अनुमान पर चर्चा हुई और सभा ने प्रथम अनुपूरक अनुमान स्वीकृत किया । इस सत्र में 871 प्रश्नों की सूचनायें प्राप्त हुईं, इनमें ग्राह्य प्रश्नों की संख्या 430 रही, 75 प्रश्नों पर सभा में चर्चा हुई । सत्र में मौखिक प्रश्नों की औसत 08 प्रश्नों का रहा । जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया कि इस सत्र में अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रत्येक विषय पर विभिन्न माध्यमों के तहत सदन में चर्चा हुई । इस सत्र में नियम 139 के अंतर्गत चर्चा हेतु कुल 3 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 2 सूचनायें ग्राह्य हुईं । सत्र में 7 अशासकीय संकल्प प्राप्त हुये, जिनमें से 5 अशासकीय संकल्प चर्चा के लिये सदन में रखे गये, उनमें से 3 संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुये व 2 संकल्प सदस्यों द्वारा चर्चा उपरांत वापस लिये गये । सत्र में एक शासकीय संकल्प प्रस्तुत हुआ और सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

आप माननीय सदस्यों ने अपनी तर्कशक्ति से प्रत्येक विषय पर हुई चर्चा को निष्कर्ष तक पहुंचाया । आपके इस कार्य से निश्चित ही प्रदेश की जनता के मध्य यह संदेश जायेगा कि उनके द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधि इस सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था में जनभावना व जनकल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कृतसंकल्पित है । इस सत्र में कुल 81 स्थगन के प्रस्ताव रखे गये, जिनमें से ग्राह्य प्रस्ताव की संख्या 45 रही । अग्राह्य प्रस्ताव की संख्या 33 रही, 3 प्रस्ताव ध्यानाकर्षण सूचना में परिवर्तित किये गये । सत्र में शून्यकाल की 85 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 52 सूचनायें ग्राह्य व 33 सूचनायें अग्राह्य रहीं ।

द्वितीय विधान सभा के इस बारहवें सत्र में कुल 341 ध्यानाकर्षण की सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें 126 सूचनायें ग्राह्य व 168 सूचनायें अग्राह्य रही, 47 सूचनायें शून्यकाल में परिवर्तित की गईं । इस सत्र में कुल 9 विधेयक लाये गये और 9 विधेयक पारित हुये । इस सत्र में 17 याचिकायें भी सदन पटल पर रखी गई ।

माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्न एवं शासन द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर से उद्‌भूत विषयों पर माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत आधे घंटे की चर्चा की 4 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से 3 सूचनायें ग्राह्य हुई और सभा में 2 सूचनाओं पर चर्चा हुई ।

सत्र में शासन की ओर से 8 प्रतिवेदन, 6 अधिसूचनायें और 3 अध्यादेश भी सभा पटल पर रखे गये ।

आप सभी माननीय सदस्यों को आसंदी से इस सत्र के पूर्ण होने पर धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने सदन के सुचारू संचालन में मुझे सहयोग दिया । इस सत्र के समापन अवसर पर प्रेस एवं मीडिया के संबंध में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि अब तक उन्होंने अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । विधान सभा की संसदीय विषयों से जुड़ी गतिविधियों, सदन की चर्चाओं की बेहतर जानकारी देने का गुरूत्तरदायित्व का भार उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया है । मैं कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के प्रभावी और सुचारू कार्यकरण के लिए नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के लिए विधायिका और मीडिया के समन्वित संकल्प की आवश्यकता है । मैं आशा करता हूँ हमारे पत्रकार साथी इस बात से सहमत होंगे ।

अंत में इस सत्र के समापन अवसर पर मैं पुनश्च माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सदन के संचालन में मुझे सहयोग दिया । मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने सामान्यत: संसदीय मर्यादाओं की परिधि में रहकर अपने संसदीय दायित्व का निर्वहन कर सदन के संचालन में जो मुझे सहयोग दिया है, वह उल्लेखनीय है । इस अवसर पर मैं माननीय उपाध्यक्ष जी एंव सदन के सभापति के दायित्व का निर्वहन करने के लिए और मुझे सहयोग देने के लिए मैं इस सदन की सभापति तालिका के सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ ।

सत्र के सफलतापूर्वक पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने दायित्वों का गंभीरता से परिपालन किया । इस अवसर पर मैं सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा। इस सत्र के समापन अवसर पर मैं अपने विधान सभा सचिवालय के सचिव एवं सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ कि उनके समन्वित सहयोग से इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका।

छत्तीसगढ़ विधान सभा की यह परम्परा रही है कि सत्र समापन के अवसर पर आगामी सत्र की तिथि की घोषणा की जाती है । तद्नुसार आगामी सत्र, जो द्वितीय विधान सभा का त्रयोदश सत्र होगा, 03 दिसम्बर से 14 दिसम्बर, 2007 की अवधि में सम्भावित है ।

सत्र समापन के अवसर पर मैं आप सभी से पुनः आव्हान करता हूँ कि आइये छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के पावन अनुष्ठान में हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर लोकतंत्र के इस पावन मंदिर की प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखने का दृढ़ संकल्प लें ।

जय छत्तीसगढ़ ।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने भी इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त किए ।

5. राष्ट्रगान

(सदन में राष्ट्रगान जन-गण-मन की धुन बजाई गई।)

रात्रि 8.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा